कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद।

पत्रांक..........

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जहानाबाद।

सेवा में,

प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी,
घोषी।

जहानाबाद दिनांक–.............

विषयः– सीमा कुमारी, पिता–शशि भूषण प्रसाद,पता ग्राम–मुर्गीयाचक, पो0+थाना–घोषी, जिला–जहानाबाद पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि ग्राम पंचायत उबेर, घोषी, के दिनांक–12.07.2021 को पंचायत शिक्षक नियोजन कांउसलिंग के पश्चात दिनांक–20.07.2021 को प्रकाशित चयनित सूची को देखने के बाद दिनांक–23.07.2021 को सीमा कुमारी, पिता–शशि भूषण प्रसाद, मेधा सूची क्रमांक–666/1133 के द्वारा लिखित आवेदन के साथ स्वयं उपस्थित होकर बतायी कि, उनके स्थान पर किसी अन्य अभ्यर्थी ने काउंसलिंग में उपस्थित होकर अपना प्रशैक्षणिक मूल प्रमाण–पत्र एवं CTET अंक पत्र भी जमा करवाया है। प्राप्त आवेदन देने वाले अभ्यर्थी के द्वारा अपना पता– सी0 64, ए0 जी0 कॉलोनी, आशियाना नगर पटना 25 दिया गया है। उक्त अभ्यर्थी के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है जो देखने से सही प्रतीत होता है। साथ ही, सीमा कुमारी द्वारा लिखित दिया गया है कि दिनांक–12.07.2021 को वे काउंसलिंग में उपस्थित नही हुई और मेरे जगह जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में सीमा कुमारी, पिता–शशि भूषण प्रसाद के नाम से उपस्थित हुई हैं उनका पता ग्राम–मुर्गीयाचक, पो0+थाना–घोषी, जिला–जहानाबाद अंकित है जो फर्जी है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में आपको निदेश दिया जाता है कि सीमा कुमारी, पिता–शशि भूषण प्रसाद,पता ग्राम–मुर्गीयाचक, पो0+थाना–घोषी, जिला–जहानाबाद के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा पदाधिकारी
जहानाबाद

ज्ञापांक...868.....जहानाबाद दिनांक...26-07-21...

प्रतिलिपिः– जिला सूचना पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, जहानाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

26.07.21

जिला शिक्षा पदाधिकारी
जहानाबाद